

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**

क्र. प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी./2014पार्ट

जयपुर दिनांक

**आदेश**

11 NOV 2019

मुख्यमंत्री जन आवास योजना एवं प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत राज्य में निर्मित/प्रस्तावित आवासों की प्रगति के संबंध में माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 को आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों में वर्तमान पारंपरिक में संशोधन/सुधार किये जाने की आवश्यकता का आंकलन किया जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। उक्त समिति मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों का अध्ययन कर आवश्यक संशोधन एवं बदलाव हेतु मय अभिशंषा प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगी।

समिति में निम्न अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है :-

- |  |            |
|--|------------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग | अध्यक्ष    |
| 2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग      | सदस्य      |
| 3. कार्यकारी निदेशक, RUDSICO           | सदस्य सचिव |
| 4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान          | सदस्य      |

७३  
(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक, आवास RUDSICO, जयपुर।
8. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

७३  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय